मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः12.04.2025

थाना लालगंज, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बदमाश/शातिर दो गो-तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 12 राशि गोवंश, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, दो अवैध तमंचा व कारतूस बरामद —

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

मीरजापुर पुलिस द्वारा लगातार गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः12.04.2025 को थाना लालगंज, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जयकर खर्द जंगल में दौराने पुलिस मुठभेड़ में आकाश गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता निवासी सत्तनपुर रईसी थाना जंसा जनपद वाराणसी व मनीष यादव उर्फ मंगरू यादव पुत्र राकेश यादव निवासी गंज ख्वाजाजंसो की मढई अली नगर जनपद चंदौली को गिरफ्तार किया गया, जिसमे आकाश गुप्ता के बाये पैर में तथा मनीष यादव उपरोक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। मौके से दोनों अभियुक्त आकाश गुप्ता तथा मनीष यादव के कब्जे से मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन,12 राशि गोवंश तथा दो अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। उक्त पुलिस मुठभेड़ व गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-29/2025 धारा-3/5A/8,5 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0,धारा-11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 थाना लालगंज मीरजापुर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.आकाश गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता निवासी सत्तनपुर रईसी थाना जंसा जनपद वाराणसी, उम्र करीब-22 वर्ष।

2.मनीष यादव उर्फ मंगरू यादव पुत्र राकेश यादव निवासी गंज ख्वाजाजंसो की मढई अली नगर जनपद चंदौली, उम्र करीब-23 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

12 राशि गोवंश, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन तथा दो अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा व 02 अदद जिन्दा कारतूस।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण —

1- अभियुक्त आकाश गुप्ता

1.मु0अ0सं0-199/2024धारा-109,132,190,191(2),3(5),324 बीएनएस थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

2.मु0अ0सं0-165/2024 धारा-3/5A/8,5 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0,धारा-11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

2- अभियुक्त मनीष यादव उर्फ मगरू यादव

1.मु0अ0सं0-267/2023 धारा-379,411 भादवि थाना अलीनगर जनपद चंदौली

2.मु0अ0सं0-181/2021 धारा-3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(नृशंसता निवारण) अधिनियम,1989(संशोधित-2015),363,366,376 भादवि,धारा-3,4 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 थाना बलुआ जनपद चंदौली

3.मु0अ0सं0-223/2019 धारा-279,337,338,427 भादवि थाना बलुआ जनपद चंदौली

4.मु0अ0सं0-297/2023 धारा-411,414 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

5.मु0अ0सं0-398/2023 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

6.मु0अ0सं0-248/2023 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना अलीनगर जनपद चंदौली

7.मु0अ0सं0-228/2022 धारा-3/5A/8,5 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0,धारा-11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

8.मु0अ0सं0-260/2022 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष लालगंज-संजय सिंह मय पुलिस टीम।

निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।

उप-निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।